

जिला खनन कार्यालय, वैशाली

पत्रांक..... /एम0, दिनांक.....

सेवा में,

M/s D. Kumar Construction

Prop- Mr. Dhananjay Kumar

S/o Sukho Singh

At- Kasaha, P.O.- Simaria Ghat,

Block-Barauni, Begusarai, Bihar-851126

विषय:- खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर अंचल के मौजा- जंजीरा इस्माईलपुर, थाना संख्या-32 खाता संख्या-60 एवं 275 खेसरा संख्या-20 एवं 21 रकबा 1.47 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4156/एम0, दिनांक 27.12.2016 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 24,475 घन मी0 एक वर्ष तक साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. खनन कार्य से पूर्व संबंधित जिला खनन कार्यालय में रॉयल्टी जमा कर खनन की अनुमति लेना अनिवार्य है।
3. खनन कार्य हेतु सम्बंधित विभागों/संस्थाओं से अनापत्ति पत्र आवश्यक होगा।
4. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 02 मीटर से अधिक नहीं होगा।
5. खनन कार्य ग्राउण्ड वाटर लेवल से कम से कम 02 मीटर उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
6. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
7. ईंट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रायोजनार्थ ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन से संबंधित क्रिया-कलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
8. खनन/ उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
9. खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
10. खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

11. ढुलाई के दौरान खोदी गई/ उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
12. मिट्टी के खनन/ उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोग वाहकों (बैक्टीर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
13. कामगारों/ मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
14. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी आर्सेनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
15. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में ईट मिट्टी अथवा साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
16. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बना कर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 2 मी0 एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मीटर होनी चाहिए।
17. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
18. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामित्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पूर्ष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
19. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पायी जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

8/10

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
वैशाली।

ज्ञापांक 1320...../एम0, दिनांक 18/12/24

प्रतिलिपि:— निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— M/S PRANEJA ENVIROCARE & MANAGEMENT PVT. LTD., ASHIYANA, KHAJPURA,
PATNA-800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/24

खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
वैशाली।